न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–21/2021 विविध

विनोद कुमार पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. सुश्री स्वेता कोचर, उपखण्ड अधि. एवं उपखण्ड मजि., नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. जयपाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 दण्ड प्रक्रिया संहिता बाबत मुन्तकिल किये जाने प्रकरण संख्या 05/2021, शीर्षक स्टेट बनाम जयपाल आदि, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता, न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर।

उपस्थितः–1. श्री देवदत्त भीडासरा, एडवोकेट–प्रार्थी।
2. श्री देवीलाल भाम्भू, एडवोकेट–अप्रार्थी सं. 2।
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः–30.12.2021**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 02 जयपाल ने विचारण न्यायालय में परिवाद धारा 145 सी.आर.पी.सी. के तहत पेश किया कि अप्रार्थी सं. 02 के पास एक खरीदशुदा प्लॉट गांव की आबादी भूमि में है जिसको लेकर पूर्व में विवाद हुआ था, जिसे पंचायत द्वारा समझौता करवा दिया। विनोद कुमार पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी असरजाना ने उक्त प्लॉट को अपना बताते हुए विवाद शुरू कर दिया व प्लॉट पर दीवार निर्माण नहीं करने दे रहा है। विचारण न्यायालय ने उक्त परिवाद पुलिस थाना नोहर में जांच हेतु भेजा व पुलिस थाना नोहर ने जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया कि परिवादी जयपाल जांच में उपस्थित नहीं आया व ना ही भूखण्ड सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड पेश किया। अन्य गवाहान ने साक्ष्य लेकर भूखण्ड सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड पेश किया। अन्य गवाहान से साक्ष्य लेकर भूखण्ड के सम्बन्ध में पूर्व में हुए इस्तगासे व एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रति लेकर पुलिस थाना नोहर द्वारा विवादित भूखण्ड को रिसिवर(कुर्क) करने हेतु रिपोर्ट विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय ने पुलिस थाना नोहर द्वारा पत्र क्रमांक 245 दिनांक 11.01.2021 भेजी गई रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 145 सी.आर.पी. सी. के तहत प्रकरण अनवानी स्टेट बनाम जयपाल आदि प्रकरण सं. 05/2021 दर्ज किया व दोनों पक्षों को धारा 145 सी.आर.पी.सी. के तहत आदेश जारी करके नोटिस जारी किये। प्रार्थी ने उपस्थित आकर धारा 146 (1) सी.आर.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके विवादित भूखण्ड पर रिसीवर नियुक्त करके कब्जा बहक सरकार लेने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने जवाब पेश करके विवादित भूखण्ड को अपना होने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने 01.03.2021 को प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 146(1) सी.आर.पी.सी. को पुलिस थाना नोहर में जांच हेतु भेजा। प्रकरण में अभी तक उक्त उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है एवं अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 01 बार–बार

प्रार्थी को धारा 145 (1) के तहत जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली में छोटी तारीख पेशी दे रहे है जबकि प्रार्थी जवाब में पूर्व अपने प्रार्थना पत्र धारा 146 (1) सी.आर.पी.सी. के निस्तारण हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी सं. 02 यह स्पष्ट धमकी दे रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी से हमारी बात हो गई है व आगामी पेशी दिनांक 30.07.2021 पर आपका जवाब बन्द करवाकर पत्रावली में हमारे पक्ष में निर्णय हो जायेगा। पीठासीन अधिकारी भी पत्रावली में छोटी पेशी दे रहे है। पत्रावली में दिनांक 29.06.2021 में दिनांक 07.07.2021 व दिनांक 16.07.2021 व दिनांक 23.07.2021 व आगामी पेशी दिनांक 30.07.2021 निर्धारित कर रखी है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी भी पत्रावली में नजदीक तारीख पेशी नियत करके प्रकरण का शीघ्र ही विधि विरूद्ध फैसला करने पर आमदा है। प्रार्थी को विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण में अहम जवाब देही रखता है एवं भूखण्ड के सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज भी है। विचारण न्यायालय उक्त तमाम परिस्थितियों को अनदेखा करके अप्रार्थी के पक्ष में प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है। विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विधि विरूद्ध रूप से प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष लम्बित उक्त प्रकरण अन्य न्यायालय को अन्तरित किये जाने का आदेश फरमाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व उपखण्ड अधि. एवं उपखण्ड मजि., नोहर से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 स्वीकार है। प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है प्रश्नगत भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 02 के नाम ख. नं. 179/03 की खातेदारी कृषि भूमि है तथा अप्रार्थी सं. 02 का कब्जा है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य कतई असत्य एवं विधि विरूद्ध होने के कारण अस्वीकार है प्रार्थी मामला को अनावश्यक लम्बा कर लम्बित रखने पर आमादा है। मुझ अप्रार्थी सं. 02 पर धमकी देने तथा पीठासीन अधिकारी से बात होने के कथन कतई मिथ्या दर्ज किये है जो अस्वीकार है। प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रार्थी के पास कोई सबूत व साक्ष्य नहीं है प्रार्थी उक्त भूखण्ड को हड़पने की नियत से कानून हाथ में लेकर कब्जा करना चाहता है। प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 02 की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी जबरिया तौर पर कब्जा करना चाहता है तथा अप्रार्थी सं. 02 जो कि एक शांतीप्रिय व्यक्ति है उसे अनावश्यक मुकदमेंबाजी में फसाकर तथा मामला को लम्बा करने पर आमादा हैं। प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रार्थी के पास कोई जवाब देही व उनके हक हिस्सा को कोई सबूत व साक्ष्य नहीं होने तथा पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थी संख्या 02 की बात होने के मिथ्या आरोप लगाये गये है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी कतई काबिल खारिजी के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी कतई असत्य मनगढ़त एवं विधि विरूद्ध होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में सूची के साथ फर्द अहकाम दिनांक 11.01.2021 से 23.09.221 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र जयपाल पुत्र हरदत्त जाति जाट निवासी असरजाना निवासी नोहर की प्रति व पुलिस थाना नोहर द्वारा तैयार मौका विवादित स्थल का नजरी नक्शा की प्रति प्रस्तुत की गई व अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जमाबन्दी, नक्श खसरा ग्राम असरजाना व फर्द मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार, खुइयां प्रस्तुत की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। अप्रार्थी सं. 02 यह स्पष्ट धमकी दे रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी से हमारी बात हो गई है व आगामी पेशी पर आपका जवाब बन्द करवाकर पत्रावली में हमारे पक्ष में निर्णय हो जायेगा। प्रकरण में अभी तक प्रार्थना पत्र धारा 146(1) सी.आर.पी.सी. की पुलिस थाना नोहर से जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है एवं अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 01 बार–बार प्रार्थी को धारा 145(1) के तहत जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली में छोटी तारीख पेशी दे रहे है। प्रार्थी को यह आशंका है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 02 के दबाव में आकर प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही फैसला कर देगा। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं होने तथा विचारण न्यायालय उक्त तमाम परिस्थितियों को अनदेखा करके अप्रार्थी के पक्ष

में प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है। इसलिए विचारण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस में प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रकरण करीबन 1 वर्ष से न्यायालय में लम्बित चल रहा है। पुलिस थाना नोहर द्वारा विवादित भूखण्ड में दोनों पक्षों के मध्य विवाद होने की स्थिति में इस्तगासा दायर किया गया था। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जा रही है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थी को मूल प्रकरण में जवाब करने हेतु पूर्ण अवसर दिया गया। प्रार्थी द्वारा वाद के करीबन 8 महीने बाद अपना जवाब प्रस्तुत किया है तथा उक्त प्रकरण अब अन्तिम बहस पर विचाराधीन है। प्रार्थी जानबूझकर प्रश्नगत प्रकरण को लम्बित रखने तथा प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 02 पर लगाये गये आक्षेप पूर्णतया निराधार व झूठे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। प्रकरण पुलिस थाना द्वारा दोनों पक्षों के मध्य भूखण्ड को लेकर आपस में विवाद होने पर न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर में अन्तर्गत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत इस्तगासा दायर किया गया है, जो वास्ते बहस की स्टेज पर है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर में उक्त प्रकरण करीबन एक वर्ष से लम्बित है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर द्वारा प्रकरण में दोनों पक्षों की पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रकरण अन्तिम बहस पर विचाराधीन है। प्रकरण में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा प्रकरण भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट के क्षैत्राधिकार का है। यदि प्रकरण का अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तो कानून व्यवस्था में भी असुविधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करना उचित नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 411 दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 30.12.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़